यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के माह 04/2019 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सिराज हुसैन एवं श्री अनूप कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री रजनीश कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.03.2021 से 09.03.2021 तक श्री डी.के. पिपलानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री वियज कुमार मौर्य लेखापरीक्षक एवं श्री सिराज हुसैन व श्री प्रवीण कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.06.2019 से 26.06.2019 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग वानिकी एवं अन्य कार्य।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

(₹ लाख में)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	268.04
2018-19	200.47
2019-20	199.44

(ii) (ब) बजट का विवरण विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		**स्थापना**
2017-18	0.00	0.00	618.91	613.94	602.10	601.44	4.97	0.66
2018-19	0.00	0.66	626.34	617.39	960.82	955.77	8.95	5.05
2019-20	0.00	5.05	621.68	620.87	828.30	814.50	0.81	13.80

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

केन्द्र पोषित योजनाओं का विवरण वर्ष 2019-20									
क. स.	**योजना का नाम**	**केन्द्र पोषित/राज्य पोषित**	**स्वीकृत धनराशि**	**व्यय धनराशि**	**योजना की अवधि**	**भौतिक प्रगति**			
						मद	**इकाई**	**लक्ष्य**	**क्रमिक प्रगति**
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**
1	नमामिगंगे परियोजना	केन्द्र पोषित	111.863	111.863	01 वर्ष	नर्सरी अनुरक्षण	सं. / लाख	3	3
						वृक्षारोपण	है0	60	60.00
						अग्रिम मृदा कार्य	है0	85	85
						वृक्षारोपण अनुरक्षण	है0	190	190
						फफदार/आर्थिक पौधों वितरण	है0	30	30
						फलदार/ आर्थिक पौधों अनुरक्षण	है0	163.77	163.77
						गंगा वृक्षारोपण	ल.सं.	L.S.	L.S.
2	इन्टेसीफिकेशन आफ फारेस्ट मैनजमेन्ट	केन्द्र पोषित	10.98	10.98	01 वर्ष	फायर लाईन मेन्टीनेन्स	किमी.	90	90
						फायर वाचर	सं.	71	71
						वाटर स्टोरेज टेंक	सं.	4	4
						वाहन हायर	सं.	1	1
योग केन्द्र पोषित-			**122.84**	**122.84**					

(iii) इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2020 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 06/2019 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: .....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)

शून्य

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति में कमी।

प्रस्तर- 02 : प्रभाग द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम से लाटों की रायल्टी वसूल न किया जाना ₹16.75 लाख।

प्रस्तर- 03 : रोड साइड वृक्षारोपण की धनराशि वसूल न किया जाना ₹16.05 लाख।

प्रस्तर- 04 : लीसा के विक्रय पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क न वसूल किए जाने के कारण राजस्व क्षति₹4.52लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)

" शून्य "

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर- 05 : बिना अनुबंध के आउट सोर्स एजन्सी को ₹25.91 लाख का अनियमित भुगतान।

प्रस्तर- 06 : पथ वृक्षारोपण/ रिक्त पड़े स्थानों में वृक्षारोपण हेतु प्राप्त धनराशि ₹ 22.85 लाखको Adhoc-Campaमें जमा न कर वन जमा में अवरुद्ध रखा जाना ।

प्रस्तर- 07 : लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹ 11.33 लाख।

प्रस्तर- 08 : प्रभाग की उदासीनता के कारण कार्मिकोको अंशदान कीकटौती विलम्ब से होने के कारण ₹8.19 लाख के नियोक्ता अंशदानसे वंचित रहना।

प्रस्तर- 09 : वन पंचायतों को प्रदत्त की गयी सहायता अनुदान की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना रु 08.00 लाख।

प्रस्तर- 10 : वनाग्नि प्रबन्ध योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता एवं वनाग्नि का पूर्ण विवरण उच्चाधिकारियों को प्रेषित न किया जाना।

<u>भाग-2 (ब)</u>

प्रस्तर- 01 : लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति में कमी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के वर्ष 2019-20 के राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य एवं प्राप्तियों के विश्लेषण में ₹20382238/- की कमी पायी गयी:-

	क्रम संख्या	शीर्षक	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	कमी (प्रतिशत में)
01-वानिकी -0101-लकड़ी और वन उत्पाद की बिक्री	1.	0101 सरकारी अभिकरण द्वारा हटाई गयी	2500.0	0.0	2500.0	100%
	2.	0102 उपभोक्ताओं/ खरीदारों द्वारा हटाई गई	2500.0	0.0	2500.0	100%
	3.	03 लिसा	26811500.00	15059785.00	11751715	43.83%
	4.	04-0401 घास व गौण सरकारी अभिकरणों द्वारा	341.00	0.0	341.00	100%
	5.	07 वन निगम के माध्यम से लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री से प्राप्ति	9443600	820918	8622682	91.31%
	6.	08- अन्य प्राप्ति	2500	0.0	2500	100%
		योग	**36262941**	**15880703**	**20382238**	**56.21%**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि **"0101 सरकारी अभिकरण द्वारा हटाई गई"** शीर्ष में तथा **"0102 उपभोगताओं/खरीददारों द्वारा"** शीर्ष में एवं **"04-0401 घास व गौण सरकारी अभिकरणों"** में लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत कमी पायी गयी एवं अन्य शीर्षो में 43.83% से 91.31% की कमी पायी गयी। इस प्रकार वर्ष 2019-20 में "01 वानिकी-101-लकड़ी और वन उत्पाद कि बिक्री से प्राप्तियों" शीर्ष में लक्ष्य ₹ 36262941/- के सापेक्ष ₹ 20382238/- अर्थात 56.21% की कमी पायी गयी।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि उच्चस्तर से अधिक लक्ष्य प्राप्त होने के कारण वर्ष 2019-20 में पूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रभाग द्वारा उच्चस्तर से राजस्व लक्ष्य कम करने के संबंध में कोई पत्राचार किया जाना नहीं पाया गया।

अत: ₹362.63 लाख के राजस्व के लक्ष्य के सापेक्ष ₹203.82 लाख की अत्यधिक कमी का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2 ब</u>

प्रस्तर- 02 : प्रभाग द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम से लाटों की रायल्टी वसूल न किया जाना ₹16.75 लाख।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी के पत्र संख्या 341/9-1(14) दिनाँक 03.11.2012, जो कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों मे कार्य करने हेतु कटान-चिरान की शर्तो से संबन्धित है, के बिन्दु संख्या-31 के अनुसार वन विकास निगम को आवंटित लाटों के सम्बंध मे रॉयल्टी का भुगतान निगम द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।

कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में 16 लॉट (विकास कार्य एवं खतरनाक वृक्षों से संबन्धित) वन विकास निगम को आवंटित की गयी थी, जिनका अनुमानित आयतन 569.9100 घन मीटर था। वर्ष 2019-20 की रॉयल्टी दर से आगणन करने पर उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी ₹16,75,648.906 आगणित होती (विवरण संलग्न) है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्तमान तक उक्त लाटों की रॉयल्टी वन निगम द्वारा नहीं दी गयी है एवं न ही प्रभाग द्वारा उक्त धनराशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही ही की गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि दिनांक 21.07.2018 को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु 3 में दिये गए निर्देशों के अनुसार विकास कार्य की लाटों से उत्पादित प्रकाष्ठ/जलौनी के विक्रय मूल्य से 20 प्रतिशत वन विकास निगम का लाभांश काटकर शेष धनराशि का भुगतान संबन्धित वन प्रभागों को किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है एवं विकास कार्यों से संबन्धित लाटों की रॉयल्टी देय नहीं है।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यवृत्त के बिन्दु 3 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के उल्लिखित पत्रों F.No. 5-1/98-FC(Part-II) दिनांक 29.03.2005 एवं F.No. 5-1/2007-FC दिनांक 11.12.2008 में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि विकास कार्यों से संबन्धित रॉयल्टी देय नहीं है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

वर्ष 2019-20 में वन निगम को आवंटित लाटों की रॉयल्टी का विवरण

क्रम संख्या	लॉटसंख्या/वर्ष	प्रजाति	वृक्षोंकी संख्या	प्रकाष्ठका अनुमानित आयतन (घन मीटर)	रॉयल्टीदर	कुलधनराशि (₹में)
1	01/2019-20	सुरई	12	2.4665	2000	4933
2	02/2019-20	चीड़	33	48.9570	2888	141387.816
3	03/2019-20	बांज	10	9.1380	1450	13250.1
4	04/2019-20	भीमल	5	0.3395	1450	492.275
		महुआ	1	0.1135	1450	164.575
		बांज	1	0.0270	1450	39.15
		चीड़	5	0.0920	2888	265.696
		तिमला	2	0.1130	1450	163.85
		खेणा	5	0.0000	1450	0
5	05/2019-20	चीड़	2	**0.8780**	2888	2535.664
6	06/2019-20	यूकेलिप्टस	2	4.5300	2138	9685.14
		खड़ीक	1	2.2650	1450	3284.25
7	07/2019-20	खड़ीक	5	0.7220	1450	1046.9
		सौड़	1	0.0000	1450	0
8	08/2019-20	रोहणी	1	0.0565	1450	81.925
		तुन	1	2.7200	17203	46792.16
		चीड़	4	6.0200	2888	17385.76
		बांज	12	0.6185	1450	896.825
		काफल	2	0.1130	1450	163.85
		अखरोट	1	0.5700	13000	7410
		उत्तीस	3	1.3875	2111	2929.0125
9	09/2019-20	रोहणी	2	0.0565	1450	81.925
		कलमिंडा	2	0.2270	1450	329.15
		खिन्ना	3	0.4245	1450	615.525
		सेमल	4	7.7970	1450	11305.65
		मन्दार	2	0.1130	1450	163.85
		चीड़	1	0.0920	2888	265.696
		सिल्वरओक	10	0.0000	1450	0
10	10/2019-20	चीड़	126	79.6220	2888	229948.336
		आंवला	4	0.1130	1450	163.85
		हरड़	1	0.0000	1450	0
		तुन	2	1.7645	17203	30354.6935
		आड़ू	1	0.0565	1450	81.925
		अमरूद	1	0.0000	1450	0

		सादण	2	0.0000	10540	0
		कुकाट	14	0.3410	5235	1785.135
11	11/2019-20	सिल्वर ओक	16	1.5840	1450	2296.8
		कोशियाग्लूका	1	0.0000	1450	0
12	12/2019-20	अयार	4	0.1130	1450	163.85
		चीड़	108	101.6090	2888	293446.792
		सीरस	4	0.0570	7415	422.655
13	13/2019-20	भीमल	7	0.1130	1450	163.85
		खड़ीक	2	0.1700	1450	246.5
		तिमला	1	0.0000	1450	0
		चीड़	21	6.4745	2888	18698.356
		आम	1	0.0570	7260	413.82
		कुकाट	4	0.1130	5235	591.555
14	14/2019-20	चीड़	73	48.7230	2888	140712.024
		बांज	4	1.4840	1450	2151.8
15	15/2019-20	चीड़	116	226.0490	2888	652829.512
		सीरस	4	0.4245	7415	3147.6675
16	16/2019-20	चीड़	3	11.2050	2888	32360.04
योग			**653**	**569.9100**		**1675648.906**

नोट- जिन प्रजाति के वृक्षों की रॉयल्टी दर निर्धारित नहीं थी उनकी रॉयल्टी जलौनी लकड़ी की दर से आगणित की गयी है।

<u>भाग-2 ब</u>

प्रस्तर- 03 : रोड साइड वृक्षारोपण की धनराशि वसूल न किया जाना ₹16.05 लाख।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणो में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के एवज में समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की शर्त लगाई जाती है। इसके अतिरिक्तपारेषण लाइन के नीचे बौनी प्रजाति का वृक्षारोपण, वन भूमि पर प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण, 01 है0 से कम के प्रकरणों में आस-पास रिक्त पड़े स्थानो पर उचित वृक्षारोपण की दर का निर्धारण निम्नवत किया गया था:

वसूली वर्ष	रोपण वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे0 (₹में)	बौनी प्रजाति वृक्षारोपण की दर प्रति हे॰ (₹में)	रोड साइड वृक्षारोपण प्रति किमी (₹में)	रिक्त पड़े स्थानो 100/वृक्षों के वृक्षारोपण की दर (₹में)
2015-16	2018-19	209366	209366	322102	1000 प्रति वृक्ष
2016-17	2019-20	230302	230302	345312	1000 प्रति वृक्ष
2017-18	2020-21	253332	253332	379843	1000 प्रति वृक्ष

प्रभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान वन भूमि हस्तांतरण से संबन्धित पत्रावलियों की नमूना जाँच में निम्न बिन्दु प्रकाश मे आए:

(1) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/ 06/127/2016/एफ0सी0/516 दिनाँक 04.07.2017 द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जामू से रविग्राम मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण हेतु 0.996 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 1.225 किमी थी।

आगे जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा रोड साइड वृक्षारोपण की धनराशि जमा नहीं की गयी थी। वसूली वर्ष 2017-18 के अनुसार ₹379843 प्रति किमी की दर से 1.225 किमी हेतु रोड साइड वृक्षारोपण की धनराशि **₹465308 (**₹379843× 1.225) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा नहीं की गयी है।

(2) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/ 06/22/2016/एफ0सी0/2331 दिनाँक 01.03.2019 द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.610 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की विधिवत स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 3.00 किमी थी। आगे,जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा रोड साइड वृक्षारोपण की धनराशि जमा नहीं की गयी थी। वसूली वर्ष 2017-18 के अनुसार रोड साइड वृक्षारोपण ₹379843 प्रति किमी की दर से 3.00 किमी हेतु धनराशि **₹1139529**(₹379843 ×3.00) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा नहीं की गयी है।

इस प्रकार उक्त दोनों प्रकरणों में प्रभाग द्वारा ₹1604837 (₹1139529+₹465308) की रोड साइड वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी से जमा नहीं कराई गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि शर्त संख्या 5 के अनुपालन में इस आशय की बचन बद्धता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया गया है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां-2 संभव हो सड़क के दोनों किनारों पर विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation किया जाएगा।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से रोड साइड वृक्षारोपण की धनराशि भी वसूल की जानी थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग -2 ब</u>

प्रस्तर-04 : लीसा के विक्रय पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क न वसूल किए जाने के कारण राजस्व क्षति₹4.52लाख।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची एक-खा के क्रमांक 18 में यह प्रावधान किया गया है कि उस प्रत्येक सम्पत्ति के लिए जो अलग लाट में नीलामी पर चढाई और बेची गयी हो जो किसी न्यायालय, या अधिकारी या संस्था द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार ऐसी सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी से बेचने का अधिकार प्राप्त हो, सार्वजनिक नीलामी से बेची गयी सम्पत्ति के क्रेता को दिया जाये तो केवल क्रयधन की राशि के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तांतरण पर क्रमांक 23 खंड (क) के समान शुल्क देय है। वर्तमान में स्टाम्प शुल्क की दर 5% है। इस पर नियमानुसार रजिस्ट्रेशन फीस भी देय है।जिससे स्पष्ट है कि नीलामी के माध्यम से बिक्री की गयी संपत्ति चाहे वो चल हो या अचल पर स्टाम्प की देयता 5% की दर से निर्धारित की गयी है।जिन प्रकरणो में संपत्ति को नीलामी के माध्यम से विक्रय नहीं किया जाता है उनमे स्थाई संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क की देयता 23-क के अनुसार 5% की दर से तथा अस्थाई संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क की देयता 23-ख के अनुसार 2%की दर से निर्धारित की गयी है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के लीसा डिपो से संबंधित अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में नीलामी के माध्यम से कुल 2428.51 कुंतल लीसा की बिक्री विभिन्न दरों पर कुल ₹1,50,62,335/- की करना दर्शाया गया था, जिस पर 2% की दर से ₹3,01,298/- स्टाम्प शुल्क वसूल करना दर्शाया गया था। जबकि अलग-अलग लाटों में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचे गए लीसे पर स्टाम्प शुल्क की देयता 5% की दर से निर्धारित की गयी है। अतः ₹1,50,62,000/- (₹1,50,62,335/-, 1000 में पूर्णांकित) की लीसा की बिक्री पर अंतरीय दर 3% (5-2) से स्टाम्प शुल्क ₹4,51,948/- देय है (**विवरण संलग्न**)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि संगत वर्ष में लीसा नीलामी प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग द्वारा की जाती है। लीसा नीलामी पर 2 प्रतिशत की दर से जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के आदेश के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा वसूल की गयी। प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची एक-खा के क्रमांक 18 के अनुसार लीसा बिक्री पर स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत की दर से देय है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर- 05 : बिना अनुबंध के आउट सोर्स एजन्सी को ₹25.91 लाख का अनियमित भुगतान।

प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में गर्ग कांट्रैक्ट सेर्विसेज द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध करवाये गए थे। लेखापरीक्षा में आउट सोर्स एजन्सी से संबन्धित अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकाश में आयी -

1. वर्ष 2019-20 के लिए आउट सोर्स एजेंसी के साथ किए गए अनुबंध की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं थी एवं न ही प्रभाग के पास उपलब्ध थी।
2. वर्ष 2019-20 में धनराशि ₹25.91 लाख का भुगतान आउट सोर्स एजन्सी को किया गाया था। आउट सोर्स एजन्सी के बिलों की जांच में पाया गया कि एजन्सी द्वारा अनुबंधित कर्मचारियों का बिलो के द्वारा ई.एफ.पी., ई.एस.आई. बोनस प्राप्त नहीं किया जा राह था जिससे यह स्पष्ट होता है कि अनुबंधित कर्मचारियों को नियमानुसार देय ई.पी.एफ., ई .एस. आइ एवं बोनस के लाभ से वंचित रखा जा रहा था ।
3. कर्मचारियों के ईपीएफ़ खाते आउट सोर्स एजेंसी द्वारा खुलवाए भी गए थे या नहीं, प्रभागीय कार्यालय द्वारा इसकी कोई जांच नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2019-20 का अनुबंध उपलब्ध नहीं हो पा राहा है तथा उपलब्ध होने पर लेखा परीक्षा को प्रेषित किया जायेगा। ई.पी.एफ. खोतों की जाच नहीं करवाई गयी है यथाशीघ्र जाच कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर- 06 : पथ वृक्षारोपण/ रिक्त पड़े स्थानों में वृक्षारोपण हेतु प्राप्त धनराशि ₹ 22.85 लाख को Adhoc-Campa में जमा न कर वन जमा में अवरुद्ध रखा जाना ।

प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के वर्ष 2019-20के वन निक्षेप प्राप्ति एवं वन निक्षेप भुगतान परिलेख माह मार्च 2020 के अवलोकन में देखा गया कि पथ वृक्षारोपण/ रिक्त पड़े स्थानों में वृक्षारोपण हेतु धनराशि रु 22,84,952 अवशेष रखी हुई है । अभिलेखों की जांच में पाया गया कि यह धनराशि वर्ष 2007 से 2008 के मध्य की है । वन भूमि के हस्तांतरण से प्राप्त धनराशि को Adhoc-Campa में जमा किया जाना था। परंतु यह धनराशि वन जमा में वर्ष 2007-08 से रखी हुई है। इस धनराशि को पुनर्वैध करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन को जुलाई 2020 में पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन को नवम्बर 2020 में पत्र प्रेषित किया गया। लेखापरीक्षा तिथि तक धनराशि को पुनर्वैध किया जाना शेष था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वन भूमि हस्तांतरण से प्राप्त धनराशि को पुनर्वैध करने हेतु प्रभाग द्वारा बार-बार उच्च स्तर से पत्राचार किया जा रहा है। प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रभाग द्वारा 12 वर्ष से 13 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात उक्त धनराशि को पुनर्वैध किए जाने हेतु पत्राचार किया गया है। साथ ही इतना अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात उक्त धनराशि से वर्ष 2007-08 में निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

अतः पथ वृक्षारोपण/रिक्तपड़े स्थानों में वृक्षारोपण हेतु प्राप्त धनराशिरु 22.85 लाख को Adhoc-Campa में जमा न कर वन जमा में अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2(ब)</u>

प्रस्तर- 07 : लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹ 11.33 लाख।

किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का कम से कम तीन वर्षो तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क मे रहकर पुन: पौध के रूप में विकसित हो जाते है जिनके बार-बार उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2017-18 में प्रथम वर्ष हेतु 130 हेक्टेयर क्षेत्र पर लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया गया एवं ₹7.33 लाख जबकि वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु कोई कार्य नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 में प्रथम वर्ष हेतु 100 हेक्टेयर पर लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया एवं ₹4.00 लाख का व्यय किया गया। किन्तु उक्त के द्वितीय वर्ष 2019-20 में कोई कार्य नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रभावित क्षेत्र के उपचार पर किए गए व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में लेंटाना पुन: उगकर क्षेत्र कि परिस्थितिकी को प्रभावित करेगा।

अत: प्रभाग द्वारा लेंटाना के कार्य को लगातार तीन वर्षो तक जारी न रखने के परिणामस्वरूप कुल ₹ 11.33 लाख (₹ 7.33 + ₹ 4.00) का व्या निष्फल रहा।

उपरोक्त के संबंध लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बजट कि अनउपलब्धता के कारण कार्य अग्रिम वर्षो में नहीं किए गए।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2 ब</u>

प्रस्तर- 08 : प्रभाग की उदासीनता के कारण कार्मिकोको अंशदान कीकटौती विलम्ब से होने के कारण ₹8.19 लाख के नियोक्ता अंशदान से वंचित रहना।

उत्तराखण्ड सरकार के आदेश सितम्बर 2005 के द्वारा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति सितम्बर 2005 के बाद हुई है उनके वेतन से वेतन+ग्रेड का 10 प्रतिशत की दर से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि के अगले माह से अनिवार्य रूप से की जानी चाहिये। योजना के प्रावधान के अनुसार काटी गई अंशदान के बराबर धनराशि नियोक्ता द्वारा अंशदान के रूप मे दिये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग की अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जाँच करने पर पाया गया कि कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि से 01 माह से 110 माह विलम्ब से होने के कारण उक्त कर्मचारियों को मिलने वाले नियोक्ता अंशदान ₹8.19 लाख के लाभ से वंचित रहना पड़ा **(विवरण संलग्न)**।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने NPS से संबन्धित अभिलेख कार्यालय में देरी से जमा कराये जाने के कारण एवं PRAN allotment में ट्रेजरी से विलम्ब से allotment होने के कारण अंशदान की कटौती में विलम्ब हुआ। इसके साथ ही कुछ अधिकारी/कर्मचारी अन्य वन प्रभाग से स्थानांतरण होकर आए हैं जिनका PRAN उस वन प्रभाग से देरी में प्राप्त हुआ। विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती विलम्ब से की गयी थी जिससे कि अधिकारियों/कर्मचारियों को नियोक्ता अंशदान के लाभ से वंचित रहना पड़ा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2(ब)</u>

प्रस्तर- 09 : वन पंचायतों को प्रदत्त की गयी सहायता अनुदान की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना ₹ 08.00 लाख।

वित्तीय नियमो के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय नियम-19-ए में दिये गए प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किए जाने उपयोग की गयी धनराशि के मात्रात्मक लक्ष्यों का उल्लेख, उपयोग की गयी धनराशि के नुणतपरक लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के वर्ष 2019-20 कैम्पा योजना के अंतर्गत वन पंचायतों रु 8.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी थी। (विवरण संलग्न) किन्तु वन पंचायतों को निर्गत की गयी रु 8.00 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा तिथि तक प्रस्तुत नहीं किए गए।

उपरोक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया की वन पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर पृथक से प्रेषित किए जाएगे।

अत: प्रभाग द्वारा आपत्ति स्वीकार करने के कारण प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर- 10 : वनाग्नि प्रबन्ध योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता एवं वनाग्नि का पूर्ण विवरण उच्चाधिकारियों को प्रेषित न किया जाना।

वनो में अग्नि दुर्घटनाओं एवं उनसे क्षति को न्यूनतम करने के प्रयोजन से रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु धनराशि ₹ 1,90,64,330/- का वनाग्नि प्रबन्ध योजना तैयार किया गया था। प्रभाग द्वारा तैयार वनाग्नि प्रबन्ध योजना में 06 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कार्यों को किया जाना प्रस्तावित किया गया था। यह 06 मुख्य शीर्ष- Man power, Transport & Communication, forestry Works, Awareness & training, Publicity & Extension तथा Any other works के रूप में वर्गीकृत किया गया था । लेखापरीक्षा में वनाग्नि प्रबन्ध योजना एवं वर्ष 2019 में वनाग्नि से संबन्धित अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए-

1. वनाग्नि प्रबन्ध योजनाके लिए प्रस्तावित धनराशि ₹1,90,64,330/- के सापेक्ष मात्र ₹77,06,0000 (40%) की धनराशि प्राप्त हुई एवं उसके अनुसार ही व्यय किया गया । जो वनाग्नि प्रबन्ध योजना तैयार किए जाने एवं उसी अनुसार कार्यान्वित किए जाने के औचित्य के विपरीत था।
2. अग्नि सुरक्षा के निवारक उपायों में से एक प्रचार प्रसार-पर वर्ष 2019-20 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।
3. Forestry works पर प्रभाग द्वारा वनाग्नि प्रबन्ध योजना में प्रस्तावित धनराशि `20,63,580के दोगुने से अधिक धनराशि `53,67,000 व्यय किया गया ।
4. वनाग्नि काल 2019 (वन धटनओ का विवरण दिनांक 15.02.2019 से दिनांक 15.06.2019) की जांच में पाया गया कि मात्र मई 2019 के दौरान ही घटित हुई 51 वनाग्नि की घटनाओं को ही शासन एवं उच्चाधिकोरियों को प्रेषित किया गया, जबकि इस अवधि को दौरान 59 वनाग्नि की घटनाओं घटित हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा बिन्दु-2 के संबंध में उत्तर दिया गया कि प्रचार प्रसार में व्यय हेतु धनराशि का प्रावधान न होने के कारण एवं धनराशि प्राप्त न होने के कारण प्रचार प्रसार में कोई व्यय नहीं किया गया। बिन्दु-3 के संबंध में बताया गया कि प्रभाग की आवश्यकतानुसार इन कार्यों पर व्यय किया गया एवं बिन्दु-4 के संबंध में बताया गया कि लिपिकीय त्रुटिवश वनाग्नि की घटनाओं का विवरण कम प्रेषित किया गया। प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रचार प्रसार अग्नि सुरक्षा के निवारक उपायों में से एक है। इसके अतिरिक्त Forestry works पर प्रभाग द्वारा प्रस्तावित धनराशि से अधिक व्यय किया गया एवं उच्चाधिकारियों को वनाग्नि की घटनाओं से संबन्धित गलत सख्या प्रेषित की गयी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
186/2014-15	01	01,02	-
06/2017	-	01,02	-
17/2016-17	-	01,02,03,04,05,06	-
88/2018-19	-	01	-
31/2019-20	-	03	-

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
186/2014-15	-	01,02,03,04,05,06,07,08	-
17/2016-17	-	01,02,03	-
88/2018-19	-	02,03,04,05	01
FR/31/2019-20	-	01,02	03

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) विभिन्न लीसा ईकाईयों को वर्ष 2004-05 लीसा फसल विक्री पर स्टाम्प शुल्क की धनराशि ₹6133659/- के अभिलेख।

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री वैभव कुमार सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांये।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV